[illegible] नाम कामते हो [illegible]
[illegible] वादी एवं प्रतिवादीगण
[illegible] विवरण के अनुसार [illegible]
[illegible] के उपस्थित होकर
[illegible] प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण
[illegible] केवल सीमाज्ञान अधिनियम
[illegible] अतः सीमाज्ञान अधिनियम
[illegible] विचार का निस्तारण करना [illegible]
हमने प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र
के आधार पर यह पाया है कि
प्रकरण में सीमाज्ञान अधिनियम
[illegible] पक्षकारान के विवादों का
निस्तारण [illegible] है अतः उपरोक्त
प्रार्थना पत्र बहसीमद्धा अस्वीकृत
का निर्णय दिये जाते हैं कि
विपक्षीगण आवेदी को सीमाज्ञान
पर पालन किये इस आदेश
के लिखाया गया छोटा स्थित है
उपरोक्त प्रार्थना पत्र वाद का निस्तारण
किया जाता है पक्षकारान को
हो कर नकल दी जाये।
नाथ
तहसील अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
[illegible] दौसा (राज०)